

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

बुलन्दशहर

पत्रांक: 432-प-27/फा0स0/बु0शहर/2020

दिनांक: 12-अक्टूबर-2020

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी(शस्त्र)/
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
बुलन्दशहर।

विषय:- सिगनेचर अथार्टी, रिलायन्स बीपी मोबालिटी लिमिटेड द्वारा भूमि गाटा संख्या-1440 स्थित ग्राम सिकन्द्राबाद देहात, जनपद बुलन्दशहर में एक नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाने हेतु अग्नि सुरक्षा विषयक आख्या उपलब्ध कराने से सम्बन्धित।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक:924(3)/शस्त्र लिपिक-द्वितीय दिनांक 23-09-2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में विषयगत सिगनेचर अथार्टी, रिलायन्स बीपी मोबालिटी लिमिटेड द्वारा भूमि गाटा संख्या-1440 स्थित ग्राम सिकन्द्राबाद देहात, जनपद बुलन्दशहर में एच0एस0डी0, एम0एस0 के अण्डरग्राउण्ड भण्डारण क्षमता का एक नवीन रिटेल आउटलेट लगाये जाने वाले प्रस्तावित स्थल का आपके पत्र के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार निरीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

01. प्रस्तावित स्थल पर अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक आवागमन कर सकते हैं।
02. प्रस्तावित स्थल के ऊपर से वर्तमान में कोई हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही है।

प्रस्तावित व्यवस्था एवं अग्निशमन प्रणाली

01. समपूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0-1646:2015 के मानको के अनुरूप किया जाये तथा विद्युत वायरिंग में एम0सी0बी0/ई0एल0सी0बी0 का प्रयोग किया जाये।
02. टैंक के लिए अलग-अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाये, जो आपस में जुडी नही होनी चाहिए एवं ऊंचाई कम से कम 04 मी0 होनी चाहिए।
03. वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम 2007 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।
04. भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार निर्देशित फायर एक्सटिंग्यूशरों को कार्यशील दशा में बनाये रखते हुए उसका परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराने का उत्तरदायित्व भवन स्वामी/प्रबन्धक का होगा।
05. टैंक में तेल भरते समय टैंक, डिस्पेंसर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित है।
06. लारी से टैंक में तेल भरते समय उचित अर्थिंग होना अति आवश्यक है।
07. स्टोरेज टैंक के पास 12 अदद फायर बकेट न्यूनतम 09 ली0 क्षमता की बालू से भरी हुई स्टैण्ड पर रखी जाये।
08. प्रत्येक डिस्पेंसर के पास आई0एस0 मार्का ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूसर 2 अदद क्षमता 09 कि0ग्रा0 एवं समस्त अग्निशमन उपकरण सदैव कार्यशील दशा में रखा जाना अनिवार्य होगा एवं उनका रख रखाव नियमानुसार किया जाना आवश्यक होगा।
09. प्रत्येक डीजल जरनेटर सेट के पास आई0एस0 मार्का फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर 2 अदद क्षमता 9 ली0 के रखे जाये।

TANUJ KUMAR
State Business Development Manager
UP (West) & UT
Reliance BP Mobility Limited

10. सम्पूर्ण परिसर की अग्नि सुरक्षा हेतु क्षमता 50 के0जी0 के ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंक्विशन्ट (ट्राली माउन्टेड) 02 अद्द कार्यशील दशा में रखा जाना आवश्यक होगा।
 11. लाइसेन्स एरिया में जंक्शन वाक्स के साथ सभी लाइट पलेम प्रूफ होनी चाहिए।
 12. प्रत्येक डिस्पेन्सर पर इमरजेन्सी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।
 13. आपरेटिंग प्रोसीजर के बोर्ड लगे होने चाहिए।
 14. पेट्रोल पम्प पर धूम्रपान निषेध के बोर्ड लगे होने चाहिए।
 15. आपातकालीन विभाग के टेलीफोन नम्बर का बोर्ड सार्वजनिक रूप से अंकित होना चाहिए।
- निम्नांकित का बोर्ड डिस्पेन्सर के पास लगायें।

क्या करे	क्या न करे
1- तेल भरवाने से पहले वाहन का इंजन बंद रखें।	1-वाहन का इंजन तब तक स्टार्ट न करे जब तक वाहन के टैंक से नोजुल अलग न हो जाये।
2-मोबाइल फोन बन्द रखे।	2-धूम्रपान न करें।
3-सुनिश्चित कर ले कि डिस्पेन्सर के पास अग्निशमन यंत्र रखे हुए है।	3-खुली आग का प्रयोग न करें।
4- तेल रिसाव/आग की स्थिति में डिस्पेन्सर का इमरजेन्सी स्टाप बटन दबायें।	4-लारी से टैंक में तेल भरते समय वाहनो में तेल न भरे।

अतः उपरोक्त ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोलियम एक्ट, 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एवं PESO विभाग द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन किये जाने की शर्तों के अधीन उल्लिखित नियमों का कड़ाई से पालन किये जाने तथा सम्पूर्ण निर्माण हो जाने के उपरान्त उपयोग से पहले पुनः निरीक्षण कराकर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत प्रोविजनल हेतु आख्या स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

अतएव उपरोक्त शर्तों के अनुसार विषयगत सिगनेचर अथार्टी, रिलायन्स बीपी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा भूमि गाटा संख्या-1440 स्थित ग्राम सिकन्द्राबाद देहात, जनपद बुलन्दशहर में एच0एस0डी0, एम0एस0 के अण्डरग्राउण्ड भण्डारण क्षमता का एक नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा विषयक आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक:-मानचित्र


TANUJ JINDAL
 State Business Development Manager
 UP (West) & UT
 Reliance BP Mobility Limited


 12/10/2020
 (जे0पी0सिंह)
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 बुलन्दशहर